

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-23/2015-114 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 21-09-2015

प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

Fax/Mail

अपर निदेशक (शष्य) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/नालंदा/ भोजपुर /बक्सर/रोहतास/कैमूर/गया /औरंगाबाद/ जहानाबाद/अरवल/नवादा/ सारण/सिवान /गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/प० चम्पारण/सीतामढ़ी/शिवहर/वैशाली/दरभंगा /मधुबनी/समस्तीपुर/बेगुसराय/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/खगड़िया/पूर्णिया/कटिहार/अररिया /किशनगंज/भागलपुर/मुंगेर /जमुई/लखीसराय/शेखपुरा/बाँका।

विषय:

किसान सलाहकार योजना का वर्ष 2015-16 में 781269282.00 (अठत्तर करोड़ बारह लाख उनहत्तर हजार दो सौ बेरासी) रु० मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन तत्काल अनुसूचित जाति के किसान सलाहकार के लिए 85102959.00 (आठ करोड़ एकावन लाख दो हजार नौ सौ उनसठ) रु० मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹8,51,02,959 (आठ करोड़ एकावन लाख दो हजार नौ सौ उनसठ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-कृ० प्र० किसान सलाहकार योजना 01/2015-436 दिनांक-08.09.2015 द्वारा किसान सलाहकार योजना का वर्ष 2015-16 में 781269282.00 (अठत्तर करोड़ बारह लाख उनहत्तर हजार दो सौ बेरासी) रु० मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन तत्काल अनुसूचित जाति के किसान सलाहकार के लिए 85102959.00 (आठ करोड़ एकावन लाख दो हजार नौ सौ उनसठ) रु० मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृति राशि के अन्तर्गत व्यय हेतु कुल ₹8,51,02,959 (आठ करोड़ एकावन लाख दो हजार नौ सौ उनसठ रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

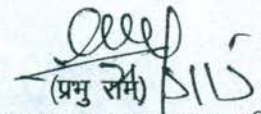
2.उपरोक्त कुल ₹8,51,02,959 (आठ करोड़ एकावन लाख दो हजार नौ सौ उनसठ रुपये) मात्र की निकासी बजट-शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म-उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मौंग संख्या-1 -उपशीर्ष- 0106- इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सर्पोट, नई योजना, विपत्र कोड-P2401007890106, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-50 22, के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विषयशीर्ष -28 01- व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2)दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक:-5294 दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,


(प्रभु राम)
निदेशक प्रशासन -सह-अपर सचिव
कृषि विभाग बिहार पटना।

ज्ञापांक

114 (भावंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 21-07-2015

हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

ज्ञापांक

114 (भावंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 21-07-2015

प्रतिलिपि : वित्त विभाग बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम० बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/अपर कृषि निदेशक, (प्रसार) बिहार पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार, राज्य बीज निगम, पटना/कुलपति, रा०कृ०वि०वि०, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बि०कृ०वि०वि०, सबौर, भागलपुर/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक, (शष्य), योजना बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त निदेशक (शष्य), पाट पूर्णियाँ/सभी उप कृषि निदेशक, (शष्य) प्रक्षेत्र/उप निदेशक, (शष्य), बीज बिहार पटना/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना / आई. टी. मैनेजर बिहार, पटना को विवरणी सहित विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन -सह-अपर सचिव
कृषि विभाग बिहार पटना।

राष्ट्रीय स्वीकृत्यादेश संख्या-436 दिनांक-08.09.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में किसान सलाहकार योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के कार्यरत किसान सलाहकार के लिए तत्काल निकासी हेतु स्वीकृत राशि की आवंटन विवरणी ।

विपत्र कोड-P2401007890106

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना ।	39,20,000	39,20,000
2	जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा ।	25,18,000	25,18,000
3	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर ।	23,04,419	23,04,419
4	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर ।	18,43,704	18,43,704
5	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) ।	12,90,000	12,90,000
6	जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) ।	16,34,000	16,34,000
7	जिला कृषि पदाधिकारी, गया ।	22,36,000	22,36,000
8	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद ।	25,80,000	25,80,000
9	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद ।	11,97,000	11,97,000
10	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल ।	9,80,200	9,80,200
11	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा ।	19,88,000	19,88,000
12	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण (छपरा) ।	36,98,000	36,98,000
13	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान ।	40,62,000	40,62,000
14	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज ।	33,76,000	33,76,000
15	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ।	43,00,000	43,00,000
16	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण ।	55,04,000	55,04,000
17	जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण ।	39,56,000	39,56,000
18	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी ।	21,50,000	21,50,000
19	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर ।	5,46,000	5,46,000
20	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली ।	36,98,000	36,98,000
21	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा ।	38,70,000	38,70,000
22	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी ।	38,70,000	38,70,000
23	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर ।	47,30,000	47,30,000
24	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय ।	23,97,000	23,97,000
25	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा ।	19,63,168	19,63,168
26	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल ।	26,30,988	26,30,988
27	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा ।	20,70,000	20,70,000
28	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया ।	12,04,000	12,04,000
29	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ ।	2,58,000	2,58,000
30	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार ।	7,71,350	7,71,350
31	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया ।	4,23,130	4,23,130
32	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज ।	86,000	86,000
33	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर ।	18,92,000	18,92,000
34	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर ।	4,82,000	4,82,000
35	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई ।	12,90,000	12,90,000
36	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय ।	6,88,000	6,88,000
37	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपूरा ।	6,02,000	6,02,000
38	जिला कृषि पदाधिकारी, बाँका ।	20,94,000	20,94,000
कुल		8,51,02,959	8,51,02,959
कुल--(आठ करोड़ एकावन लाख दो हजार नौ सौ उनसठ रुपये मात्र)।			

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।